न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 188 सन 2016

उनवान :-

1. बलाराम पुत्र फुलाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. जगदीश 2 रणजीत पुत्रगण प्रभुराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुड्डी पुत्री प्रभुराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. तनुराम 5. भीमराज 6. मदनलाल 7. कालुराम 8. टीकूराम 9. सोहनराम 10 दुलीचन्द पुत्रगण फुलाराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मोहिनी देवी 12 सुखमा 13 किरतुरी 14. चुकी पुत्रियान फुलाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. चुन्नी 16 आरी पत्नी स्व फुलाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर
17. बादो पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन रातूसर तहसील नोहर।
18. शेराराम 19 रूजीराम पुत्रगण सिनगारी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. सावित्री पुत्री सिन्गारी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर
21 रजनी पुत्री सिन्गारी जाति जाट साकिन रातूसर तहसील नोहर हाल आवाद सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
22. जमना पुत्री सिन्गारी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन मन्नापुर तहसील सरदारशहर जिला चुरू राजस्थान
23 मीरा पुत्री सिन्गारी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन मन्नापुर तहसील सरदारशहर जिला चुरू राजस्थान
24. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
25. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 17/07/2019

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रातुसर के खसरा न0 41/12.7510हैक खसरान0 63/3.3900हैक , 69/0.0960हैक , 82/14.4970हैक कुल 38.7340हैक भूमि मोती व पूर्ण पिसरान रूधाराम जाति जाट साकिन रातुसर के नाम से दर्ज थी दोनो भाई फौत हो चुके है मोती के वारिस नन्दी पत्नि व प्रभुराम व फुलाराम दोनो पुत्र भी फोत हो चुके है फुलाराम पुत्र मोतीराम के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 है तथा नन्दी पत्नि मोतीराम वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 23 है प्रभूराम पुत्र मोतीराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है।

वाद भूमि मे फुलाराम 1/6 हिस्सा मृतक नन्दी 1/6 हिस्सा तथ प्रतिवादी संख्या 1 2 जगदीश व रणजीत दोनो 1/6 हिस्सा है तथा पूर्णराम जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा था वह उसने टिकूराम सोहनलाल दुलाराम पुत्रगण फुलाराम को वसीयत कर दिया था तथा पूर्णराम फोत हो चुका है उसके हक हिस्सा की भूमि भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के नाम सही दर्ज है।

वाद भूमि में मृतक नन्दी व मृतक फुलाराम व रणजीत व जगदीश प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है वाद भूमि मे मृतक नन्दी 1/6 हिस्सा की जगह उसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण न0 1 ता 23 मुताबिक हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार फुलाराम का 1/6 हिस्सा है अब उसकी जगह उसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तीनों का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अर्थात वाद भूमि रोही मौजा रातुरार की कुल 38.7340हैव भूमि में नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसके मृतक पुत्र फुलाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा तथा मृतक फुलाराम के 1/6 हिस्सा में उसके वारिसान वाद व प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 मुश्तकरका खातेदार काश्तकार है।

इसीप्रकार फुलाराम के वारिसान उक्त भूमि 1/24 , 1/6 यानि 5/24 हिस्सा के मुश्तकरा खातेदार काश्तकार है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 बहिब 12/13 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 दोनो बहिब 1/13 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसके मृतक पुत्र प्रभू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तीनो बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अपने पिता प्रभू से प्राप्त बहिब 1/6 हिस्सा यानी 1/24 ,1/6 कुल 5/24 हिस्सा के जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसकी पुत्री बादो प्रतिवादी संख्या 17 अकेली 1/24 हिस्सा तथा मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसकी मृतक पुत्री सिन्गारी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार है।

हाल राजस्व रिकार्ड में मोती पुत्र रूधाराम की भूमि में मृतक नन्दी व मृतक फूलाराम प्रत्येक 1/6 हिस्सा के स्थान पर दोना का मिला कर 1/6 हिस्सा दर्ज कर रखा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का 1/6 हिस्सा के स्थान पर हक से ज्यादा 1/3 हिस्सा दर्ज कर रखा है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा के अनुसार हिस्सा कस्सी संशोधन करवा लेने तो कुछ दिनों तक तो हॉ करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 24 ,25 की और से पेरोकार राज उपसिथत आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर हिस्सा कस्सी संशोधन राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं शेष प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार हिस्सा कस्सी वादी के वाद के अनुसार संशोधन की जाती तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल जबाब शामिल मिसल किया जाकर साक्ष्य सबुत प्राप्त किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रातुसर के खसरा न0 41/12.7510हैव खसरान0 63/3.3900हैव , 69/0.0960हैव , 82/14.4970हैव कुल 38.7340हैव भूमि मोती व पूर्ण पिसरान रूधाराम जाति जाट साकिन रातुसर के नाम से दर्ज थी दोनो भाई फौत हो चुके है मोती के वारिस नन्दी पत्नि व प्रभुराम व फुलाराम दोनो पुत्र भी फोत हो वुके है फुलाराम पुत्र मोतीराम के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 है तथा नन्दी पत्नि गोतीराम वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 23 है प्रभूराम पुत्र मोतीराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है।

वाद भूमि में फुलाराम 1/6 हिस्सा मृतक नन्दी 1/6 हिस्सा तथ प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जगदीश व रणजीत दोनो 1/6 हिस्सा है तथा पूर्णराम जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा था वह उसने टिकूराम सोहनलाल दुलाराम पुत्रगण फुलाराम को वसीयत कर दिया था तथा पूर्णराम फोत हो चुका है उसके हक हिस्सा की भूमि भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के नाम सही दर्ज है। वाद भूमि में मृतक नन्दी व मृतक फुलाराम व रणजीत व जगदीश प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है वाद भूमि में मृतक नन्दी 1/6 हिस्सा की जगह उसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण न0 1 ता 23 मुताबिक हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार फुलाराम का 1/6 हिस्सा है अब उसकी जगह उसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 खातेदार

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तीनो का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अर्थात वाद भूमि रोही मौजा रातुसर की कुल 38.7340हैक भूमि में नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसके मृतक पुत्र फुलाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा तथा मृतक फुलाराम के 1/6 हिस्सा मे उसके वारिसान वाद व प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 मुश्तकरका खातेदार काश्तकार है।

इसीप्रकार फुलाराम के वारिसान उक्त भूमि में 1/24 , 1/6 यानि 5/24 हिस्सा के मुश्तकरा खातेदार काश्तकार है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 बहिब 12/13 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 दोनो बहिब 1/13 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसके मृतक पुत्र प्रभू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तीनो बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अपने पिता प्रभू से प्राप्त बहिब 1/6 हिस्सा यानी 1/24 ,1/6 कुल 5/24 हिस्सा के जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसकी पुत्री बादो प्रतिवादी संख्या 17 अकेली 1/24 हिस्सा तथा मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसकी मृतक पुत्री सिन्गारी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार है।

हाल राजस्व रिकार्ड में मोती पुत्र रूधाराम की भूमि में मृतक नन्दी व मृतक फूलाराम प्रत्येक 1/6 हिस्सा के स्थान पर दोना का मिला कर 1/6 हिस्सा दर्ज कर रखा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का 1/6 हिस्सा के स्थान पर हक से ज्यादा 1/3 हिस्सा दर्ज कर रखा है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का किसी को ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर के खसरा न0 41/12.7510हैक खसरान0 63/3.3900हैक , 69/0.0960हैक , 82/14.4970हैक कुल 38.7340हैक भूमि मोती व पूर्ण पिसरान रूधाराम जाति जाट साकिन रातुसर के नाम से दर्ज थी दोनो भाई फौत हो चुके है जिनके फोत होने पर उसके वारिसान मृतक नन्दी व मृतक फूलाराम प्रत्येक 1/6 हिस्सा के दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु दोनो का मिला कर 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं प्रभू के वारिसान जो प्रभू के हक हिस्सा 1/6 हिस्सा में अपना हक हिस्सा पाने के अधिकारी थे को कुल भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। सही तौर से हिस्सा कस्सी इस प्रकार से होनी चाहिये थी।

अर्थात वाद भूमि रोही मौजा रातुसर की कुल 38.7340हैक भूमि में नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसके मृतक पुत्र फुलाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा तथा मृतक फुलाराम के 1/6 हिस्सा में उसके वारिसान वाद व प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 मुश्तकरका खातेदार काश्तकार है।

इसीप्रकार फुलाराम के वारिसान उक्त भूमि 1/24 , 1/6 यानि 5/24 हिस्सा के मुश्तकरा खातेदार काश्तकार है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 बहिब 12/13 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 दोनो बहिब 1/13 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसके मृतक पुत्र प्रभू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तीनो बहिब 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अपने पिता प्रभू से प्राप्त बहिब 1/6 हिस्सा यानी 1/24 ,1/6 कुल 5/24 हिस्सा के जिसमे वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसकी पुत्री बादो प्रतिवादी संख्या 17 अकेली 1/24 हिस्सा तथा मृतक नन्दी के 1/6 हिस्सा में उसकी मृतक पुत्री सिन्गारी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार है।

Scanned with CamScanner

उक्तानुसार हिस्सा कस्सी संशोधन करने के सम्बध में वादी एवं प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है पेरोकार राज ने भी उक्तानुसार संशोधन करने में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया केवल राज्यहकों को सुरक्षित रखने का निवेदन किया गया है राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा के अनुसार हिस्सा कस्सी संशोधन करने से राज्यहकों को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड आदिनांक संशोधन होता है जो राज्यहितों में है।

इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 36/33 के खसरा न0 41/12.7510 ,63/3.3900 ,69/8.0900 ,82/14.4970हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 चौहदा बहिब बराबर 5/24 हिस्सा जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 बाहरों बहिस्सा बराबर 12/13 हिस्सा यानि प्रत्येक 1/13 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 दोनो बहिब 1/13 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 5/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 17 अकेली 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 18/23 छहो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के मुश्तकरा खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे ।यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत — सैयद सौरभ अली जैदी (आर.ए.एस.)

उनवान :-

1. बलाराम पुत्र फुलाराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. जगदीश 2 रणजीत पुत्रगण प्रभुराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गुड्डी पुत्री प्रभुराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तनुराम 5. भीमराज 6. मदनलाल 7. कालुराम 8. टीकुराम 9. सोहनराम 10 दुलीचन्द पुत्रगण फुलाराम जाति जाट साकिन बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मोहिनी देवी 12 सुखमा 13 किस्तुरी 14. चुकी पुत्रियान फुलाराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. चुन्नी 16 आरी पत्नी स्व फुलाराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर
17. बादो पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर।
18. शेराराम 19 रजीराम पुत्रगण सिन्गारी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. सावित्री पुत्री सिन्गारी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर
21. रजनी पुत्री सिन्गारी जाति जाट साकिन रतुसर तहसील नोहर हाल आबाद सिरमसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. जमना पुत्री सिन्गारी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन मन्नापुर तहसील सरदारशहर जिला चुरू राजस्थान
23. मीरा पुत्री सिन्गारी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन मन्नापुर तहसील सरदारशहर जिला चुरू राजस्थान
24. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
25. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 188 सन 2016 निर्णय दिनांक– 17/07/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रतुसर के खाता संख्या 36/33 के खसरा न0 41/12.7510 ,63/3.3900 ,69/8.096 ,82/14.4970हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 चौहदा बहिब बराबर 6/24 हिस्सा जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 बाहरो बहिस्सा बराबर 12/13 हिस्सा यानि प्रत्येक 1/13 हिस्सा के तथा प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 दोनो बहिब 1/13 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 5/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 17 अकेली 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 18/23 छहो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे ।यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner